...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

...द संख्या :– 194/2020
...S NO- 2020/00016 — दायर दिनांक: 03.02.2020
...अधिकारी :– श्योराम (आर.ए.एस.)

1. [illegible] पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. [illegible] पुत्र रामकंवार जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रूपचंद पुत्र रामकंवार जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. महावीर पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. देवबाई पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हेमराज पुत्र चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. नीमलाल पुत्र चौथमल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भंवरलाल पुत्र ऊंकार जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. भंवरलाल पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. लाड पत्नी सजला जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. रवि पुत्र सजला जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. दीपकपुत्र सजला जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. माया पुत्री सजला हाल पत्नी महेन्द्र जाति धाकड निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।
9. कृष्णा पुत्री सजला जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. सीताराम पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
12. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर साहब, बून्दी।
13. शाखा प्रबंधक महोदय बून्दी चित्तौड क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा समीधी तहसील नैनवाँ बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्र:– अंतर्गत धारा 251 ए व 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण 1 के खातेदारी की खसरा संख्या 469/28–15, 472/08–07 व 738/03–13 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण 2 व 3 के खातेदारी की खसरा संख्या 451/09–11, 452/04–19, 470/15–03 व 746/04–10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थीगण 4 व 5 के खातेदारी की खसरा संख्या 620/05–16, 622/01–03, 1033/01–02, 1034/01–02, 2301/452/14–10 व 2302/470/14–0[illegible] बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में [illegible] खसरा संख्या 469 व 470 में आने

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 451, 452, 466, 464, 465, 463 व 467 के मध्य की मेर पर होता ...ता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में हरे रंग एंव लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण ...लगायत 3 के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सत्ताह ...से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध कर करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार खसरा संख्या 469 व 470 तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता B से C के अतिरिक्त कोई अन्य सीधा एवं सुगम रास्ता का विकल्प नहीं है। नक्शा रिकॉर्ड में A से B के मध्य रास्ता नहीं है परन्तु मौके पर रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 463 व 2302/470 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 463 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा 70 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0.07 बीघा तथा खसरा संख्या 2302/470 में से रकबा 70 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0.07 बीघा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता बिन्दू संख्या B से C तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 0.14 बीघा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट समीधी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम समीधी पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 469 व 470 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 463 रकबा 45 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा 70 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–07 बीघा तथा खसरा संख्या 2302/470 में से रकबा 70 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 140 वर्ग गठ्ठा= रकबा 0–07 बीघा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। यह कि प्रस्तावित रास्ता बिन्दू संख्या B से C तक नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 0–14 बीघा है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner